रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता… अहकाम जो इ… की तामिल में… हुये
28/05/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा गया। आदेश प्रति TDR बाली व समस्त संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022 / 18
दायरा तिथि : 01.10.2021
आदेश तिथि : 28-05-2024
प्रार्थी :–

श्रीमती रिंकू कंवर पत्नी श्रवणसिंह उदावत जाति राजपूत निवासी जेतपुरा तहसील पाली जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांकः 28-05-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 45/4 रकबा 0.1400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 44 रकबा 1.6400 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/86 दिनांक 09.04. 2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक खुडाला की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि वर्तमान में खसरा नंबर 45 रकबा 1.3300 हैक्टर का प्रार्थीया के सहखातेदार चन्दनसिंह हिस्सा 1/2 के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा हुआ है, जिसमें खसरा नंबर 45/2 रकबा 0.5150 हैक्टर भूमि रिन्कुकवंर के हिस्से में है तथा खसरा नंबर 45 व 45/4 आपसी शामलाती हिस्से में रास्ता हेतु भूमि रखी हुई है। अतः रिन्कुकंवर की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतू अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा वर्तमान में आवागमन सरकारी (सिवायचक) खसरा नंबर 44 रकबा 1.6400 हैक्टर भूमि में से ही हो रहा है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मुख्य सडक या कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि ग्राम जादरी में रास्ते हेतू प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	44	1.64 हैक्टर	बारानी दोयम	88X9.14= 804.32 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम जादरी की डी.एल.सी. दर 1,62,429 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है। अतः भू.अ. निरीक्षक, खुडाला की जांच रिपोर्टानुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 45/2 स्वय की एवं संयुक्त खातेदारी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 45/4 रकबा 0.1400 हैक्टर की भूमि रास्ते की भूमि तक खसरा नंबर 44 में से दिये जाने की अनुशंषा की है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

पेज लगातार.........02

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/18

अनवान रिन्कुकंवर बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 45/4 रकबा 0.1400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/86 दिनांक 09.04.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 45/4 रकबा 0.1400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 44 रकबा 1.6400 हैक्टर में से **792 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 162729/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
44	1.64 हैक्टर	88X9= 792 वर्गमीटर	16	12672 X2=25344	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 25,344/- (अक्षरे पच्चीस हजार तीन सौ चवालीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2024/605-09
दिनांक : 28-05-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, बेडल
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्रीमती रिंकू कंवर पत्नी श्रवणसिंह उदावत जाति राजपूत निवासी जेतपुरा तहसील पाली जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली